

Note
p0088
13/01/25

19/5/25 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित।
वकील प्रार्थी ने पत्रावली में लगे कोई
कार्रवाई नहीं चाहते हैं एवं न्यायालय
द्वारा अब तक की गई कार्रवाई से
संतुष्ट हैं। वकील प्रार्थी द्वारा पत्रावली
नोट पेश करने का निवेदन किया।
वकील प्रार्थी द्वारा नोट पेश किये जाने
के आधार पर प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किया
जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
सीमलवाड़ा